क्रम संख्या–159 (क–2)

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0एन0–30/2006–08
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग–1, खण्ड (क)
(उत्तरांचल अधिनियम)

देहरादून, बृहस्पतिवार, 26 अक्टूबर, 2006 ई0
कार्तिक 04, 1928 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन
विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 842/विधायी एवं संसदीय कार्य/2006
देहरादून, 26 अक्टूबर, 2006

अधिसूचना
विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तरांचल विधान सभा द्वारा पारित उत्तरांचल अनानुदानित निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं (प्रवेश तथा शुल्क निर्धारण विनियम) विधेयक, 2006 पर दिनांक 26 अक्टूबर, 2006 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तरांचल का अधिनियम संख्या 14, सन् 2006 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तरांचल अनानुदानित निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं (प्रवेश तथा शुल्क निर्धारण विनियम) अधिनियम, 2006

(अधिनियम संख्या 14, सन् 2006)

उत्तरांचल राज्य की व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश तथा शुल्क निर्धारण के नियमन तथा व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के 57वें वर्ष में उत्तरांचल विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

अध्याय–1

प्रारम्भिक

संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार एवं प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम "उत्तरांचल अनानुदानित निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं (प्रवेश तथा शुल्क निर्धारण) अधिनियम, 2006" है।

(2) यह सम्पूर्ण उत्तरांचल में लागू होगा।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

लागू करना

2. यह अधिनियम, विधि द्वारा स्थापित राज्य पोषित विश्वविद्यालयों, परिषदों अथवा अन्य निकायों से सम्बद्ध अनानुदानित निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं, अल्पसंख्यक संस्थाओं को छोड़कर, में लागू होगा।

परिभाषायें

3. इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा न अपेक्षित हो–

(क) "प्रवेश तथा शुल्क विनियमन समिति" का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा धारा 4 के अन्तर्गत अनानुदानित निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं में, अल्पसंख्यक संस्थाओं को छोड़कर, शुल्क के निर्धारण तथा विनियमन के लिए गठित समिति से है;

(ख) "उत्तरांचल का स्थायी निवासी" का तात्पर्य समय–समय पर उत्तरांचल सरकार द्वारा परिभाषित स्थायी निवासी से है;

(ग) "कामन काउन्सिलिंग" का तात्पर्य आवेदकों द्वारा सामान्य प्रवेश परीक्षा में अर्जित योग्यता तथा उनके द्वारा दिये गये विकल्प के आधार पर आवेदकों को एकल खिड़की प्रणाली के माध्यम से सीटों के आवंटन से है;

(घ) "कामन प्रवेश परीक्षा" का तात्पर्य एक विशिष्ट व्यावसायिक पाठ्यक्रम के लिए आवेदकों की योग्यता के निर्धारण हेतु आयोजित लिखित परीक्षा अथवा एक से अधिक व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए संयुक्त परीक्षा से है;

(ङ) "सर्वसम्मति" का तात्पर्य राज्य सरकार तथा अनानुदानित निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं के प्रबन्धन के दो तिहाई प्रतिनिधियों के मध्य सामान्य रूप से सहमत व्यवस्था से है;

(च) "शुल्क" का तात्पर्य सभी शुल्कों से है जिसमें शिक्षण शुल्क तथा विकास शुल्क भी सम्मिलित है;

(छ) "सामान्य वर्ग की सीटें" का तात्पर्य आरक्षित वर्ग की सीटों के अतिरिक्त अन्य सीटों से है;

(ज) "सरकार" का तात्पर्य उत्तरांचल सरकार से है;

(झ) "सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त व्यावसायिक संस्था" का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा स्थापित/राज्य सरकार द्वारा सारयुक्त रूप से पोषित व्यावसायिक शिक्षण संस्था से है;

(ञ) "राज्यपाल" का तात्पर्य उत्तरांचल राज्य के राज्यपाल से है;

(ट) "सरकारी सीट" का तात्पर्य सरकारी कॉलेजों तथा विश्वविद्यालय के संघटक महाविद्यालय के संघटक महाविद्यालयों की समस्त सीटों तथा अनानुदानित निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं की उतनी सीटों से है जितनी राज्य सरकार तथा अनानुदानित निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं के मध्य सर्वसम्मति अथवा अन्यथा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जायं;

(ठ) "प्रबन्धन" का तात्पर्य अनानुदानित निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था को संचालित व नियंत्रित करने वाले किसी व्यक्ति अथवा निकाय से है जिसे किसी भी नाम से सम्बोधित किया जाय;

(ड) "अल्पसंख्यक" का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित धार्मिक अल्पसंख्यक से है;

(ढ) "अनिवासी भारतीय" का तात्पर्य उस अभ्यर्थी से है जिसका जन्म भारतीय मूल के माता–पिता से हुआ हो तथा जो देश से बाहर रह रहा हो तथा जिसने भारत के बाहर समकक्ष अर्ह परीक्षा उत्तीर्ण की हो;

(ण) "अन्य पिछड़ा वर्ग" का तात्पर्य उत्तरांचल [उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम, 1994) (अनुकूलन एवं उपान्तरण)] आदेश, 2001 की अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट नागरिकों से है;

(त) "निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थान" का तात्पर्य उस व्यावसायिक संस्था से है, जो अल्पसंख्यक संस्था नहीं है तथा जिसे केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा स्थापित अथवा पोषित न किया गया हो;

(थ) "व्यावसायिक शिक्षण पाठ्यक्रम" का तात्पर्य डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाण–पत्र जिसे किसी भी नाम से सम्बोधित किया जाय, प्राप्त करने के लिए इस अधिनियम के उद्देश्यों हेतु राज्य सरकार द्वारा व्यावसायिक पाठ्यक्रम/पाठ्यक्रमों के रूप में अधिसूचित पाठ्यक्रम/पाठ्यक्रमों से है;

(द) "व्यावसायिक शिक्षण संस्थान" का तात्पर्य किसी महाविद्यालय अथवा ऐसे संस्थान जिसे किसी भी नाम से सम्बोधित किया जाय, से है जो सक्षम वैधानिक निकाय तथा किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध जिसमें व्यावसायिक शिक्षण प्रदान करने वाले संघटक इकाई जो विश्वविद्यालय के समकक्ष हो, भी सम्मिलित है, से अनुमोदित अथवा प्रतिष्ठित उपाधि, डिप्लोमा या एक प्रमाण–पत्र जिसे किसी भी नाम से सम्बोधित किया जाय, प्राप्त करने हेतु व्यावसायिक शिक्षा प्रदान कर रहा हो अथवा व्यावसायिक शिक्षण पाठ्यक्रमों का संचालन कर रहा हो;

(ध) "अर्हता परीक्षा" का तात्पर्य उस परीक्षा से है जो विहित की जाय;

(न) "आरक्षित सीट" का तात्पर्य राजकीय महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों के संघटक महाविद्यालयों, अनानुदानित निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के पक्ष में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित आरक्षित सीटों से है;

(प) "स्वीकृत प्रवेश क्षमता" का तात्पर्य व्यावसायिक शिक्षण संस्था में अध्ययन के प्रत्येक पाठ्यक्रम में सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रवेश के लिए स्वीकृत विद्यार्थियों की कुल सीटों की संख्या से है;

(फ) "राज्य पोषित विश्वविद्यालय" का तात्पर्य राज्य विधायिका के अधिनियम तथा राज्य सरकार द्वारा पोषित, स्थापित तथा निगमित विश्वविद्यालय से है;

(ब) "राज्य विधायिका" का तात्पर्य उत्तरांचल की विधान सभा से है;

(भ) "अनानुदानित संस्थान" का तात्पर्य ऐसे निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थान से है जो अनुदानित संस्था अथवा अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है;

(म) "विश्वविद्यालय" का तात्पर्य नियमानुसार घोषित विश्वविद्यालय से है।

अध्याय–2

प्रवेश तथा शुल्क नियामक समिति

संरचना अयोग्यता तथा कार्य

4. (1) राज्य सरकार प्रवेश तथा शुल्क नियामक समिति गठित करेगी जिसमें निम्नलिखित होंगे:–

(क)	उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश	अध्यक्ष
(ख)	सचिव, चिकित्सा शिक्षा (पदेन)	सदस्य
(ग)	सचिव, तकनीकी शिक्षा (पदेन)	सदस्य
(घ)	सचिव, न्याय (पदेन)	सदस्य
(ङ)	राज्य सरकार द्वारा नामित एक सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी जो राज्य सरकार के सचिव से अनिम्न स्तर के पद से सेवानिवृत्त हुआ हो	सदस्य
(च)	राज्यपाल द्वारा नामित राज्य विश्वविद्यालय के एक भूतपूर्व कुलपति	सदस्य
(छ)	राज्य सरकार द्वारा नामित दो प्रतिष्ठित शिक्षाविद्	सदस्य
(ज)	सचिव, उच्च शिक्षा (पदेन)	सदस्य–सचिव

समिति के अध्यक्ष द्वारा नियमों में परिभाषित एक प्रसिद्ध चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट को भी नामित किया जायेगा।

(2) समिति, अधिसूचना की तिथि से प्रवृत्त होगी तथा नामित सदस्यों का कार्यकाल नामांकन की तिथि से दो वर्ष अथवा पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने, जो भी पहले हो, तक होगा तथा किसी भी कारण से रिक्ति उत्पन्न होने पर, राज्य सरकार रिक्ति उत्पन्न होने के तीन माह पूर्व तथा रिक्ति की तिथि से तीन माह के भीतर उस रिक्ति की पूर्ति करेगी।

(3) समिति के गठन में किसी त्रुटि अथवा केवल किसी रिक्ति के कारण समिति का कोई भी कार्य या कार्यवाही अमान्य नहीं मानी जायेगी।

(4) कोई भी व्यक्ति जो किसी अनानुदानित निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था से सम्बन्धित है, प्रवेश तथा शुल्क नियामक समिति का सदस्य होने के योग्य नहीं होगा।

(5) प्रवेश तथा शुल्क नियामक समिति का सदस्य यदि कोई ऐसा कार्य करता है जो राज्य सरकार के विचार में समिति के सदस्य बनने के अयोग्य हो, तो वह समिति का सदस्य नहीं रहेगा :

परन्तु सदस्य को अपना पक्ष सुनने का अवसर प्रदान किये बिना समिति से हटाया नहीं जायेगा।

(6) समिति की बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष द्वारा की जायेगी तथा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में समिति द्वारा सदस्यों में से किसी एक को विशेष बैठक की अध्यक्षता के लिया चुना जायेगा तथा समिति जैसे उचित समझे स्वयं की प्रक्रिया अपना सकती है।

(7) समिति अनानुदानित निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं के संघ में कॉमन प्रवेश परीक्षा के संचालन के मानक तथा प्रक्रिया निर्धारित करेगी तथा कॉमन प्रवेश परीक्षा का निरीक्षण तथा पर्यवेक्षण करेगी। अनानुदानित निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं के संघ में उचित पारदर्शी तथा शोषण रहित तरीके से केन्द्रीकृत परामर्श तथा प्रवेश सुनिश्चित करने हेतु समिति इनका भी निरीक्षण तथा पर्यवेक्षण करेगी।

(8) प्रवेश के लिए समिति द्वारा प्रतिपादित नियमों के विरुद्ध किये गये प्रवेश की शिकायतें भी समिति द्वारा सुनी जायेंगी। संबंधित प्रबन्ध से प्राप्त प्रमाणों तथा स्पष्टीकरणों के पश्चात् समिति यह निर्णय लेगी कि प्रवेश की प्रतिपादित प्रक्रिया का उल्लंघन, अनानुदानित निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं द्वारा किया गया है अथवा नहीं। समिति समुचित संस्तुतियां कर, उन्हें दण्डित कर सकती है। समिति यह घोषणा कर सकती है कि प्रवेश योग्यता के आधार पर नहीं किया गया हो तो वह अमान्य है और इस दशा में संबंधित विश्वविद्यालय अभ्यर्थियों को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं देगा।

(9) समिति को अपने कार्यों के निष्पादन से संबंधी सभी मामलों जो इस अधिनियम के प्राविधानों से असंगत न हों, में प्रक्रिया के निर्धारण की शक्ति प्राप्त होगी और इस अधिनियम के अन्तर्गत निम्नांकित मामलों में अन्वीक्षण के संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी वाद की सुनवाई के दौरान सिविल न्यायालय को प्राप्त, सभी शक्तियां उसे प्राप्त होंगी :–

(क) किसी साक्षी को बुलाना एवं उपस्थिति हेतु बाध्य करना और शपथ लेकर उसका परीक्षण करना।

(ख) किसी प्रपत्र की खोज एवं उसे प्रस्तुत करना।

(ग) शपथ पत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना।

(घ) साक्षी के परीक्षण हेतु आयोग गठित करना।

(10) समिति अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को अनानुदानित निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं के संगठन द्वारा सम्पादित प्रवेश प्रक्रिया की किसी भी अवस्था में निरीक्षण की शक्ति होगी जबकि समिति को विश्वास हो जाये कि अनानुदानित निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं के संगठन द्वारा सम्पादित प्रवेश प्रक्रिया, समिति द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के विरुद्ध है, समिति सुनवाई का अवसर प्रदान करने के उपरान्त ऐसी प्रवेश प्रक्रिया को अवैध घोषित कर सकती है।

(11) समिति ऐसी अनानुदानित निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं के समूह अथवा समूहों को मान्यता प्रदान करेगी जो कॉमन प्रवेश परीक्षा के सम्पादन हेतु संगठन बनायेगा।

(12) समिति अनानुदानित निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं के व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु शुल्क निर्धारित करेगी।

(13) समिति को अधिकार होगा कि–

(क) प्रत्येक व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थान को ऐसी संस्थाओं हेतु प्रस्तावित शुल्क ढांचे को समिति के समक्ष सभी सुसंगत प्रपत्रों और लेखा पुस्तकों के साथ शैक्षणिक सत्र प्रारम्भ होने के पूर्व पुनर्विलोकन हेतु रखने की अपेक्षा करना;

(ख) इस बात का सत्यापन करना कि प्रत्येक संस्थान द्वारा प्रस्तावित शुल्क न्यायोचित है तथा यह लाभ अर्जित करने हेतु अथवा केपिटेशन शुल्क के रूप में नहीं है;

(ग) शुल्क ढांचे को अनुमोदित करना अथवा ऐसे अन्य शुल्क का निर्धारण करना जो संस्था द्वारा लिया जा सकता हो।

(14) समिति द्वारा निर्धारित शुल्क अनानुदानित निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं के लिए तीन वर्ष की अवधि के लिए लागू होगा। इस अवधि के समाप्त होने के पश्चात् संस्था शुल्क के पुनरीक्षण के लिए आवेदन करने हेतु स्वतन्त्र होगी। इस प्रकार निर्धारित शुल्क उस अभ्यर्थी पर लागू होगा जिसने कि संस्था में उस शैक्षणिक सत्र में प्रवेश लिया है तथा उस महाविद्यालय में पाठ्यक्रम पूर्ण होने तक उस शुल्क का पुनरीक्षण नहीं किया जायेगा।

(15) समिति अनानुदानित निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं के संबंध में निम्नलिखित विषयों की जांच कर सकती है :–

(क) केपिटेशन शुल्क संग्रहण से संबंधित शिकायतें।

(ख) निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क वसूल किया जाना।

(ग) लाभार्जन।

(घ) इस अधिनियम के किसी भी प्राविधान का उल्लंघन।

उपर्युक्त सभी दशाओं में संबंधित प्रबन्धन से प्रमाण तथा स्पष्टीकरण प्राप्त करने के उपरान्त समिति निर्देश दे सकती है अथवा समुचित संस्तुतियां कर सकती है। जिसमें संबंधित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता समाप्त करना अथवा राज्य सरकार से समुचित कार्यवाही कर दण्ड आरोपित करना शामिल है।

(16) राज्य सरकार समिति के सदस्यों का पारिश्रमिक तथा सेवा की शर्तें अधिसूचित करेगी।

अध्याय–3

शुल्क निर्धारण

शुल्क निर्धारण के कारक

5. (1) निम्न को ध्यान में रखते हुए–

(क) व्यावसायिक संस्थान की स्थिति;

(ख) व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की प्रकृति एवं उसकी आवश्यकताएं;

(ग) भूमि एवं भवन की लागत;

(घ) उपलब्ध आधारभूत ढांचा;

(ङ) प्रशासन एवं अनुरक्षण पर व्यय;

(च) व्यावसायिक संस्थान की वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक युक्तियुक्त अतिरिक्त राशि;

(छ) कोई अन्य प्रासंगिक कारक,

प्रवेश एवं शुल्क निर्धारण समिति, विहित तरीके से राज्य विश्वविद्यालय से सम्बद्ध अनानुदानित निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा लिये जाने वाले शुल्क अथवा शुल्कों का निर्धारण करेगी।

(2) कोई भी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थान, किसी भी नाम अथवा रूप में, शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आमंत्रित अभ्यर्थियों से समिति द्वारा निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लेगी।

(3) समिति विभिन्न संस्थाओं में संचालित व्यावसायिक शिक्षा के विभिन्न पाठ्यक्रमों के संदर्भ में, उपर्युक्त कारकों के अनुसार भिन्न–भिन्न शुल्क निर्धारित कर सकती है तथा यह समान प्रकार की संस्थाओं को वृहत् समूह में रख सकती है :

परन्तु यह कि समिति अप्रवासी भारतीय छात्रों के प्रवेश हेतु अनानुदानित निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थानों द्वारा लिये जाने वाले शुल्क को उच्च स्तर पर रख सकती है।

(4) प्रवेश एवं शुल्क नियामक समिति किसी भी शुल्क अथवा शुल्कों के निर्धारण से पूर्व संस्था को सुने जाने का अवसर प्रदान करेगी।

अध्याय–4

प्रवेश

6. किसी भी अभ्यर्थी को किसी व्यावसायिक संस्था में, प्रवेश नहीं दिया जायेगा जब तक कि वह विहित शैक्षणिक अथवा समकक्ष योग्यता धारित न करता हो: अर्हता

परन्तु यह कि ऐसे अभ्यर्थी जो उत्तरांचल राज्य के स्थायी निवासी नहीं हैं, को उन्हें अनानुदानित निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थान में स्वीकृत कुल प्रवेश क्षमता के 50 प्रतिशत सीटों पर ही प्रवेश हेतु पात्रता होगी।

7. सभी सरकारी सीटें, राज्य सरकार द्वारा संचालित कॉमन प्रवेश परीक्षा एवं कॉमन काउन्सिलिंग द्वारा भरी जायेंगी। सरकारी सीटों का आवंटन

8. (1) अनानुदानित निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थान में सरकारी सीटों के अतिरिक्त सभी सीटें संबंधित अनानुदानित निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थान के संगठन द्वारा संचालित कॉमन प्रवेश परीक्षा तथा कॉमन काउन्सिलिंग द्वारा भरी जायेंगी : अन्य सीटों का आवंटन

परन्तु यह कि राज्य सरकार तथा अनानुदानित निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थानों के मध्य सहमति के आधार पर कुछ सीटों को राज्य सरकार द्वारा सरकारी सीट घोषित किया जा सकता है। सर्वानुमति में सरकारी सीटों के अतिरिक्त अन्य सीटों के लिए काउन्सिलिंग की प्रक्रिया भी सम्मिलित हो सकती है :

परन्तु यह और कि यदि कोई संस्था स्वैच्छिक रूप से संबंधित संगठन द्वारा संचालित कॉमन प्रवेश परीक्षा में शामिल नहीं होती है अथवा किसी संगठन से सहयुक्त नहीं होती है, उस दशा में इन सीटों को सरकार द्वारा भरा जायेगा, जैसे कि वे सरकारी सीटें हों।

(2) 10 प्रतिशत तक की सीटों को अप्रवासी भारतीय अभ्यर्थियों से भरा जा सकता है।

(3) महाविद्यालयों के संगठन के विशेष अनुरोध पर प्रवेश एवं शुल्क नियामक समिति व्यावसायिक निकायों द्वारा सम्पादित विशेष लिखित परीक्षा विशेष समयावधि में विशेष व्यावसायिक पाठ्यक्रमों हेतु कॉमन प्रवेश परीक्षा घोषित कर सकेगी।

9. अनानुदानित निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थान द्वारा कुल स्वीकृत सीटों में से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट तरीके से सीटों का आरक्षण प्रदान किया जायेगा : सीटों का आरक्षण

परन्तु यह कि अनानुदानित निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थान अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षित सीटें अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता के कारण रिक्त रह जाती हैं, तो उन सीटों को राज्य सरकार द्वारा संबंधित कॉमन प्रवेश परीक्षा की योग्यता सूची से उसी श्रेणी के अभ्यर्थियों द्वारा भरा

जायेगा और यदि आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी सीटों के चयन के उपरान्त उसे छोड़ देते हैं तो उन सीटों को संबंधित संगठन द्वारा सम्पादित कॉमन प्रवेश परीक्षा की योग्यता सूची से उसी श्रेणी के अभ्यर्थी द्वारा भरा जायेगा :

परन्तु यह और कि यदि इसके बाद भी सीटें रिक्त रह जाती है तो इन सीटों को राज्य सरकार से अनुमोदनोपरान्त इस अधिनियम की धारा 8 में वर्णित गैर आरक्षित श्रेणी के छात्रों द्वारा भरा जा सकेगा।

रिक्त सीटों का आवंटन

10\. सरकारी, सामान्य अथवा आरक्षित सभी सीटें संबंधित कॉमन प्रवेश परीक्षा तथा कॉमन काउन्सिलिंग के माध्यम से ही राज्य सरकार तथा अनानुदानित निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं के मध्य सर्वानुमति में प्राविधानों के अनुसार भरी जायेंगी। कॉमन प्रवेश परीक्षा तथा कॉमन काउन्सिलिंग के माध्यम से छात्रों की अनुपलब्धता के कारण सीटों के रिक्त रह जाने की दशा में उन सीटों को राज्य सरकार की अधिसूचना द्वारा गठित किसी अभिकरण द्वारा सम्पादित एवं घोषित लिखित प्रवेश परीक्षा एवं शुल्क नियामक समिति के माध्यम से भरा जायेगा :

परन्तु यह कि यदि सीट अथवा सीटें इसके बाद भी रिक्त रहती हैं तो, सीट अथवा सीटें राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित योग्यता परीक्षा में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त वरीयता क्रम के आधार पर तथा सर्वनिष्ठ परामर्श एवं राज्य सरकार तथा अनानुदानित निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं के मध्य सर्वानुमति में प्राविधानों के अनुसार एवं प्रवेश तथा शुल्क नियामक समिति से यथावश्यक अनुमोदनोपरान्त भरी जायेंगी :

परन्तु यह और कि यदि अनिवासी भारतीय अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित सीटें रिक्त रह जाती हैं तो उक्त सीट अथवा सीटों को अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों द्वारा भरा जायेगा, जैसा कि इस अधिनियम की धारा 8 में वर्णित है।

अधिनियम के उल्लंघन में किये गये प्रवेश का अवैध होना

11\. इस अधिनियम के अध्यधीन बनाये गये नियमों के प्राविधानों के उल्लंघन में किये गये प्रवेश अवैध होंगे।

अध्याय–5

प्रकीर्ण

अपील

12\. (1) राज्य सरकार द्वारा अपीलीय प्राधिकरण का गठन किया जायेगा जिसमें निम्नलिखित होंगे :–

(क) उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश	–	अध्यक्ष
(ख) राज्य सरकार द्वारा नामित एक सेवानिवृत्त अधिकारी जो कि मुख्य सचिव स्तर से कम न हो	–	सदस्य
(ग) राज्यपाल द्वारा नामित एक प्रतिष्ठित शिक्षाविद्	–	सदस्य

कोई व्यक्ति अथवा अनानुदानित निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था प्रवेश एवं शुल्क निर्धारण समिति के आदेश से सहमत नहीं होते हैं तो आदेश प्राप्ति के दस दिन के भीतर अपील कर सकते हैं।

(2) अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से समिति अस्तित्व में आ जायेगी तथा नामित सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष की अवधि हेतु अथवा किसी नामित सदस्य द्वारा 65 वर्ष की आयु प्राप्ति की तिथि तक जो भी पूर्व में घटित हो, होगा।

दण्ड

13\. यदि कोई व्यक्ति अथवा अनानुदानित निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था इस अधिनियम के प्राविधानों का उल्लंघन करती है, तो प्रवेश एवं शुल्क नियामक समिति अथवा अपीलीय प्राधिकारी–

(क) जिस संवैधानिक निकाय से संस्था सम्बद्ध अथवा मान्यता प्राप्त हों उसकी सम्बद्धता समाप्त किये जाने के समुचित निर्देश जारी कर सकता है;

(ख) संवैधानिक निकाय, विश्वविद्यालय अथवा परिषद् द्वारा जो उपाधियां, डिप्लोमा अथवा प्रमाण–पत्र संबंधित संस्थाओं को जारी किये जाते हैं, को इस अधिनियम के विरुद्ध किये गये छात्रों के प्रवेश तथा पंजीकरण को निरस्त करने के निर्देश दिये जा सकते हैं;

(ग) इस अधिनियम के प्राविधानों के अनुपालन न किये जाने की दशा में जिन छात्रों को गलत रूप से वंचित रखा गया हो, को प्रवेश देने हेतु निर्देश दिये जा सकते हैं;

(घ) इस अधिनियम के प्रत्येक उल्लंघन के लिये वित्तीय शास्तियां लगायी जायेंगी। यह धनराशि प्रति उल्लंघन के लिए 10 लाख रुपये से कम नहीं होगी तथा जिसकी वसूली विश्वविद्यालय द्वारा भू–राजस्व के रूप में वसूली जायेगी;

(ङ) यह सब निर्देश तथा संस्तुतियां राज्य विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध गैर अल्पसंख्यक अनानुदानित निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं पर बाध्य होंगी तथा इनका संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा निर्देश/संस्तुति जारी करने के 6 माह के अन्दर अनुपालन करना अनिवार्य होगा। यदि इन निर्देशों/संस्तुतियों का अनुपालन नहीं किया जाता है तो यह उपर्युक्त अंकित अवधि की समाप्ति पर स्वयमेव लागू हो जायेंगी।

उपरोक्तानुसार कोई कार्यवाही करने से पूर्व संबंधित व्यक्ति अथवा संस्था को प्रवेश तथा शुल्क नियामक समिति अथवा अपीलीय प्राधिकारी द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए समुचित अवसर प्रदान किया जायेगा।

नियमों का अध्यारोही प्रभाव

14. इस अधिनियम के प्राविधान उस सीमा तक लागू होंगे, जिस सीमा तक वे इस अधिनियम के अतिरिक्त तत्समय प्रवृत्त अन्य किसी विधि के प्राविधान से असंगत न हों।

नियम बनाने की शक्ति

15. राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा इस अधिनियम के उद्देश्यों को अग्रसर करने हेतु भूतलक्षी प्रभाव से नियम बना सकती है।

विधायिका के समक्ष रखे जाने वाले नियम

16. इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाये जाने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधान मण्डल के समक्ष जब वह सत्र में हो, कुल 30 दिन की अवधि के लिए रखा जायेगा, जिसमें यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व विधान मण्डल उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाय तो तत्पश्चात वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व विधान मण्डल सहमत हो जाय कि वह नियम नहीं बनाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभावी हो जायेगा, किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गयी किसी बात की विधि मान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

कठिनाईयों के निवारण की शक्ति

17. (1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को लागू करने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो, राज्य सरकार अधिसूचना या आदेश द्वारा ऐसे प्राविधान कर सकती है जो इस अधिनियभ के उपबन्धों से असंगत न हो और कठिनाईयों को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों :

प्रतिबन्ध यह है कि कोई अन्य आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं दिया जायेगा।

(2) इस धारा के अन्तर्गत दिया गया प्रत्येक आदेश यथाशीघ्र राज्य विधान मण्डल के समक्ष रखा जायेगा।

सद्भावनापूर्ण की गयी कार्यवाही के लिए संरक्षण

18. कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही, किसी ऐसी बात के बारे में जो इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसरण में सद्भावनापूर्वक की गयी है या की जाने के लिए आशयित है, राज्य सरकार अथवा राज्य सरकार का कोई अधिकारी अथवा प्रवेश समिति के सदस्यों तथा शुल्क नियामक समिति और अपीलीय प्राधिकारी के विरुद्ध संस्थित नहीं होगी।

संक्रमणकालीन उपबन्ध

19. जब तक कि इस अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत प्रवेश तथा शुल्क नियामक समिति का गठन तथा स्थापना नहीं की जाती है, तब तक मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा इस्लामिक एकेडमी ऑफ एजूकेशन प्रति कर्नाटक राज्य में दिये गये निर्णय के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा गठित समिति अस्तित्व में रहकर निरन्तर कार्य करती रहेंगी। ये समितियां इस अधिनियम के अन्तर्गत प्रदत्त सभी अथवा किन्हीं शक्तियों का प्रयोग तथा उत्तरदायित्वों का निर्वहन कर सकेंगी।

निरसन और व्यावृत्ति

20. (1) उत्तरांचल गैर अल्पसंख्यक अनानुदानित निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं (प्रवेश तथा शुल्क निर्धारण विनियम) अध्यादेश, 2006 इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गयी कोई बात या कार्यवाही इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गयी समझी जायेगी।

आज्ञा से,

श्रीमती इन्दिरा आशीष,

सचिव।

No. 842/Vidhayee and Sansadiya Karya/2006

Dated Dehradun, October 26, 2006

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttaranchal Unaided Private Professional Educational Institutions (Regulation of Admission and Fixation of Fee) Bill, 2006 (Uttaranchal Adhiniyam Sankhya 14 of 2006).

As passed by the Uttaranchal Legislative Assembly and assented to by the Governor on October 26, 2006.

THE UTTARANCHAL UNAIDED PRIVATE PROFESSIONAL EDUCATIONAL INSTITUTIONS (REGULATION OF ADMISSION AND FIXATION OF FEE) ACT, 2006

(Act No. 14 of 2006)

To provide for regulation of admission and determination of fee in professional educational institutions in the State of Uttaranchal and to provide for reservation of seats to persons belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes in the seats in professional educational institutions

An

Act

Be it enacted in the Fifty Seven year of the Republic of India by the Uttaranchal Legislative Assembly as follows :--

CHAPTER–I

PRELIMINARY

Short title, extent and commencement

1. (1) This Act may be called The Uttaranchal Unaided Private Professional Educational Institutions (Regulation of Admission and Fixation of Fee) Act, 2006.

(2) It extends to the whole of Uttaranchal.

(3) It shall come into force at once.

Applicability

2. This Act applies to Unaided private professional educational institutions affiliated to State Funded Universities, Councils, Boards or other bodies established under Law, excluding minority institutions.

Definitions

3. In this Act, unless the context otherwise requires--

(a) "Admission and Fee Regulatory Committee" means the Committee constituted by the State Government under section 4 for regulating the admissions, determination and regulation of fee for admission to unaided private professional educational institutions, excluding minority institutions;

(b) "Permanent residents of Uttaranchal" means permanent residents as defined by the Government of Uttaranchal from time to time;

(c) "Common Counselling" means the allotment of seats through a single window procedure to the candidates based on merit obtained in the Common Entrance Test and options given by the candidates;

(d) "Common Entrance Test" means the written test, conducted for determination of merit of the candidates for a particular professional course or combined test for more than one professional course;

(e) "Consensus" means commonly agreed arrangement between the State Government and at least two-third of the representatives of management of unaided private professional educational institutions;

(f) "Fee" means all fees including tuition fee and development charges;

(g) "General Category Seats" means the seats other than the reserved seats;

(h) "Government" means the Government of Uttaranchal;

(i) "Government/Government Aided Professional Institution" means a professional institution established/maintained or substantially owned by the State Government;

(j) "Governor" means Governor of the State of Uttaranchal;

(k) "Government Seats" means all the seats in Government colleges, university constituent colleges and such number of seats in unaided private professional educational institutions as may be notified by the State Government in accordance with the consensus arrived at between the unaided private professional educational institutions and the State Government in accordance with consensus or otherwise;

(l) "Management" means any person or body, by whatever name called, managing and controlling the unaided private professional educational institution;

(m) "Minority" means religious minority as may be notified by the State Government;

(n) "Non-resident Indian" means a candidate born to a parent of Indian origin and residing outside the country and who has passed the qualifying equivalent examination outside India;

(o) "Other Backward Classes" means the backward classes of citizens specified in Schedule 1 of Uttaranchal the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act, 1994 (Adaptation and Modification) Order, 2001;

(p) "Private Professional Educational Institution" means a professional institution not established or maintained by the Central Government or the State Government, which exclude minority institutions;

(q) "Professional Educational Courses" means course(s) of study notified as "professional course (s)" for the purpose of this act by the State Government leading to the award of a Degree, Diploma or Certificate by whatever name called;

(r) "Professional Education Institutions" means, college or an institute by whatever name called imparting professional education or conducting professional educational courses leading to the award of a degree, diploma or a certificate by whatever name called, approved or recognized by the competent statutory body and affiliated to a University and, includes a constituent unit of a deemed to be University imparting professional education;

(s) "Qualifying examination" means an examination as may be prescribed;

(t) "Reserved Seats" means the seats reserved in Government Colleges, constituent colleges of universities, unaided private professional educational institutions in favour of persons belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and Other Backward Classes as may by notified by the State Government;

(u) "Sanctioned intake" means and implies the total number of seats sanctioned by the competent authority for admitting students in each course of study in a professional educational institution;

(v) "State Funded University" means a university established or incorporated by an Act of the State Legislature and funded by the State Government;

(w) "State Legislature" means Vidhan Sabha of Uttaranchal;

(x) "Unaided Institution" means a private professional educational institution, not being an aided institution or minority institution;

(y) "University" means a University so declared under Law.

CHAPTER-II

ADMISSION AND FEE REGULATORY COMMITTEE

Composition, Disqualification and functions

4. (1) The State Government shall constitute an Admission and Fee Regulatory Committee, which shall consist of the following :--

(a) Retd. High Court Judge to be nominated by Chief Justice of High Court	–	Chairman
(b) Secretary, Medical Education (Ex-Officio)	–	Member
(c) Secretary, Technical Education (Ex-Officio)	–	Member
(d) Secretary, Law (Ex-Officio)	–	Member
(e) One Retd. Govt. Officer retired from a post not below the rank of Secretary to the State Govt. nominated by the State Govt.	–	Member
(f) One Ex-Vice Chancellor of the State University to be nominated by the Governor	–	Member
(g) Two Eminent Educationist to be nominated by the State Govt.	–	Member
(h) Secretary, Higher Education (Ex-Officio)	–	Member Secretary

The Chairman of the committee will also nominate a Chartered Accountant of repute as may be defined in the rules.

(2) The Committee shall come into force from the date of its notification and the term of the office of the nominated members shall be for a period of two years or until they attain the age of sixty-five years, whichever is earlier, from the date of their nomination and, in case of any vacancy arising, for any reason, the State Government shall fill such vacancy within three months prior to falling of vacancy and not later than three months from the date of vacancy.

(3) No act or proceeding of the Committee shall be deemed to be invalid by the reason merely of any vacancy in, or any defect in the constitution of the committee.

(4) No person who is associated with any unaided private professional educational institution shall be eligible for being a member of the Admission and Fee Regulatory Committee.

(5) A member of the Admission and Fee Regulatory Committee shall cease to be so, if he performs any act which in the opinion of the State Government is unbecoming of a member of the Committee :

Provided that no such member shall be removed from the committee without giving him an opportunity of being heard.

(6) The Chairman shall preside over the meeting of the committee and in absence of Chairman the committee shall choose one of its members for chairing that particular meeting and the Committee may adopt its own procedure as it deems fit.

(7) The Committee shall specify the standards and procedure to be followed by the Association of unaided Private Professional Educational Institutions while conducting the Common Entrance Test and shall oversee and supervise the Common Entrance Test. The Committee shall also supervise and oversee the centralised counselling and the admissions made by the Association of unaided Private Professional Educational Institutions in order to ensure that it is conducted in a fair, transparent and non-exploitative manner.

(8) The Committee may also hear complaints with regard to admission in contravention of the procedure laid down by the Committee. If the Committee after obtaining the evidence and explanation from the management concerned comes to the conclusion that there have been contraventions of the prodedure prescribed for admission or lapses on the part of the unaided private professional educational institutions, it shall make appropriate recommendations and may impose penalties. The Committee may also declare admissions to be de-hors merit and therefore invalid and in such case the concerned university shall not permit such candidates to appear for the examination.

(9) The Committee shall have the power to regulate its own procedure not in consistent with the provisions of this Act in all matters arising out of the discharge of its functions, and shall, for the purpose of making any inquiry under this Act, have all the powers of a civil Court under the Code of Civil Procedure, 1908 while trying a suit, in respect of the following matters, namely :--

(a) Summoning and enforcing the attendance of any witness and examining him on oath.

(b) The discovery and production of any document.

(c) The reception of evidence on affidavits.

(d) The issuing of any commission for the examination of witness.

(10) The Committee or any officer authorised by it shall have power to inspect at any stage of the process of admission conducted by the Association of Unaided Private Professional Educational Institutions. Whenever on such inspection, the Committee arrives at the opinion that the admission process conducted by the Association of Unaided Private Professional Educational Institutions contravenes the procedure specified by the Committee, it may after giving an opportunity of hearing declare such process as invalid.

(11) The committee shall recognise the group or groups of unaided Private Professional Educational Institutions who form an association for conducting the Common Entrance Test.

(12) The committee shall determine the fee for admission to professional educational courses in unaided private professional educational institutions.

(13) The committee shall have power to--

(a) require each professional educational institution to place before the Committee the proposed fee structure of such institution with all relevant documents and books of accounts for scrutiny well in advance of the commencement of the academic year;

(b) verify whether the fee proposed by each institution is justified and it does not amount to profiteering or charging of capitation fee;

(c) approve the fee structure or determine some other fee which can be charged by the institution.

(14) The fee determined by the Committee shall be binding on the unaided private professional educational institution for a period of three years. At the end of the said period the institution would be at liberty to apply for revision. The fee so determined shall be applicable to a candidate who is admitted to an institution in that academic year and shall not be revised till the completion of his course in the said college.

(15) The committee may, also enquire the following unaided private professional educational institution :--

(a) Complaints with regard to collection of capitation fee.

(b) Fee in excess of the fee determined.

(c) Profiteering.

(d) Violation of any of the provisions of this Act.

In all such cases, the committee after obtaining evidence and the explanations from the management concerned may issue directions or forward appropriate recommendations including withdrawal of affiliation to concerned university or the State Government for necessary action and may also impose penalties.

(16) The State Government shall notify the remuneration and terms and conditions of service of the members of the committee.

CHAPTER-III

FIXATION OF FEE

Factors for Determination of Fee

5. (1) Having regard to--

(a) the location of the professional institution,

(b) the nature and requirements of the professional course,

(c) the cost of land and building,

(d) the available infrastructure,

(e) the expenditure on administration and maintenance,

(f) a reasonable surplus required for growth and development of the professional institution,

(g) any other relevant factor--

The Admission and Fee Regulatory Committee shall determine, in the manner prescribed, the fee or fees to be charged by unaided private professional educational institution affiliated to a State University.

(2) No professional educational institution shall collect any fee by whatever name or form called from the candidate for admission to professional educational courses over and above the fee determined by the Committee.

(3) The Committee may determine different fees in respect of different courses of professional education being offered at different institutions depending upon the factors as mentioned above and it may place similarly placed institutions in broad groups :

Provided that the committee may fix a higher fee to be collected by the unaided private professional educational institution from the non-resident Indian student for admission.

(4) The Admission and Fee Regulatory Committee shall give the institution an opportunity of being heard before fixing any fee or fees.

CHAPTER-IV

ADMISSIONS

Eligibility

6. No candidate shall be admitted to a professional educational institution unless the candidate possesses such educational or equivalent qualification as may be prescribed :

Provided that the candidates who are not permanent residents of the State of Uttaranchal shall be eligible for admission only to fifty percent seats out of the total sanctioned intake in Unaided Private Professional Educational Institution.

Allocation of Government seats

7. All Government seats shall be filled through a common entrance test and common counselling conducted by the State Government.

Allocation of Other seats

8. (1) In an unaided private professional educational institution, all seats other than the Government seats shall be filled through a Common Entrance Test conducted by the respective association of unaided private professional educational institutions followed by a common counselling :

Provided that, based on consensus between the State Government and unaided private professional educational institutions, a portion or portions of seats can be declared as Government seats by the State Government. The consensus may also include method of counselling for seats other that Government seats :

Provided further, that in case any institution voluntarily opts out of the Common Entrance Test conducted by the respective association or does not join any association, then the seat in that institution shall be filled by the State Government as if they are Government seats.

(2) Seats upto ten percent may be filled from amongst the non-resident Indian candidates.

(3) On the specific request of the association of colleges the admission and fee regulatory committee may declare a particular written test coducted by a professional body to be the Common Entrance Test for a particular professional course for a specific time period.

Reservation of seats

9. Unaided private professional educational institution shall reserve seats for candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes from out of the total sanctioned intake seats in such a manner as notified by the State Government.

Provided that where the seats reserved for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes in an unaided private professional educational institution are left unfilled due to non-availability of the candidates, the same shall be filled by the candidates belonging to the same category out of the merit list of the Common Entrance Test conducted by the State Government. And where the students of reserved categories leave after they select the seats, the same shall be filled by the candidates belonging to the same category out of the merit list of the Common Entrance Test conducted by the respective association;

Provided further that if seats remain unfilled even thereafter, such unfilled seats shall be filled from the student belonging to non-reserved categories as described in section 8 of this Act after taking the approval of the State Government.

Allocation of unfilled seats

10. All the seats whether Government, General or Reserved seats shall be filled through the respective Common Entrance Tests followed by common counselling subject to provision of the consensus between State Government and Unaided Private Professional Educational Institutions. In the event of any seats as mentioned above remaining unfilled for reasons of non-availability of candidates through Common Entrance Test and common counselling, though shall be filled through such written examinations conducted by any Agency to be declared as Common Entrance Test by admission and fee regulatory committee only for such seats as notified by the State Government :

Provided that, if the seat or seats are vacant even thereafter, the seat or seats shall be filled on the basis of merit obtained by the candidate in the qualifying examination to be notified by the State Government, followed by common counselling subject to provision of the consensus between State Government and Unaided Private Professional Educational Institutions, after the due approval of admission and fee regulatory committee :

Provided further that if the seats reserved for non-resident Indian candidates are also not filled such seat or seats shall be filled from the students belonging to non-reserved category as described in section 8 of this Act.

Invalidation of admissions made in violation of the Act

11. Any admission made in violation of the provisions of this Act or the rules made thereunder shall be invalid.

CHAPTER-V

MISCELLANEOUS

Appeals

12. (1) The State Government shall appoint an Appellate Authority, which shall consist of the following :--

(a) Retd. High Court Judge to be nominated by Chief Justice of High Court ... Chairman

(b) One Retd. Govt. Officer retired from a post not below the rank of Chief Secretary of the State, to be nominated by the State Govt. ... Member

(c) One Eminent Educationist to be nominated by Governor ... Member

A person or unaided private professional educational institution aggrieved by an order of the Admission and Fee Regulatory Committee may file an appeal, within a period of ten days of receiving such order.

(2) The Committee shall come into force from the date of its notification and the term of the office of the nominated members shall be for a period of two years or until they attain the age of sixty-five years, whichever is earlier, from the date of their nomination and, in case of any vacancy arising, for any reason, the State Government shall fill such vacancy within three months prior to falling of vacancy and not later than three months from the date of vacancy.

Penalty

13. If any person or unaided Private Professional Educational Institution violates the provisions of this act the admission and fee regulatory committee and or appellate authority may--

(a) direct the withdrawal of affiliation or recognition of such institution from the statutory body with which such institution is affiliated by issuing suitable directions;

(b) direct the statutory body, university or board which grants degrees, diplomas or certificates to such institution to cancel the admission and registration of such students admitted in violation of this Act to such institution;

(c) direct the institution to admit any students to whom admission has wrongly been denied due to non-compliance of the provisions of this Act;

(d) impose financial penalties for each violation of the Act which shall not be less than Rupees ten lakh per violation and which shall be recovered by the university as arrears of land revenue;

(e) all such directions/recommendations shall be binding on the non-minority unaided private professional educational institutions affiliated to the State Universities and shall also be complied by the concerned university within six months from the date of issue of such directions/recommendations. If such directions/recommendations are not complied then it will come into force automatically after the expiry of the duration as mentioned above :

Provided that, before any action is taken as mentioned above, a reasonable opportunity of hearing shall be provided to such person or institution by the admission and fee regulatory committee and or appellate authority.

Act to have overriding effect

14. The provisions of this Act shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other law for the time being in force or in any instrument having effect by virtue of any law other than this Act.

Power to make Rules

15. The State Government may, by notification in the Official Gazette, make rules retrospectively for carrying out the purposes of this Act.

Rules to be laid before Legislature

16. Every rule made under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made, before State Legislature, while it is in session for a total period of thirty days, which may be comprised in one session or in two or more successive sessions; and if, before the expiry of the session immediately following the session of the successive sessions aforesaid, if House agrees in making any modification in the rule or agree that the rule should not be made; the rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be; so however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.

Power to remove difficulties

17. (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by order published in the Official Gazette, make such provisions not inconsistent with the provisions of this Act, as appears to be necessary or expedient, for removing the difficulty :

Provided that, no such order shall be made after the expiry of a period of two years, from the date of commencement of this Act.

(2) Every order made under this section shall, as soon as may be after it is made, be laid before State Legislature.

Protection of action taken in good faith

18. No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against the State Government or any officer of the State Government or the members of the admission and fee regulatory committee and the appellate aurhoriy, for anything, which is in good faith done or intended to be done under this Act.

Transitory provisions

19. Till the admission and fee regulatory committee under section 4 of this Act is constituted and established the committees constituted by the State Government under Hon'ble Supreme Court Judgement in Islamic Academy of Education and others Vs State of Karnataka shall continue to be in existence and shall remain functional. These committees may exercise all or any of the powers and responsibilities conferred under this Act.

Repeal and Saving

20. (1) The Uttaranchal Non-Minority Unaided Private Professional Educational Institutions (Regulation of Admission and Fixation of Fee) Ordinance, 2006, is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal anything done or any action taken under the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

By Order,

Smt. INDIRA ASHISH,
Secretary.

पी०एस०यू०(आर०ई०) 29 विधायी/584–2006–100+400 (कम्प्यूटर/रीजियो)।